न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, RAS

पत्रावली संख्या : **27/18(प्रा0पत्र)**

अनवान्

1. श्रीमती कंकुबाई पत्नी केशा जी डांगी निवासी घासा, तहसील मावली।
2. श्री जगदीश पिता केशा जी डांगी निवासी घासा, तहसील मावली।
3. मीना पुत्री केशा उर्फ केशुलाल जी डांगी निवासी घासा।
4. तुलसी पुत्री केशा उर्फ केशुलाल जी डांगी निवासी घासा।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता माना जी डांगी निवासी बेदला, उदयपुर, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती भंवरीबाई पत्नी माना जी डांगी निवासी बेदला, उदयपुर, जिला उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का घासा, तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चन्द्र डांगी अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांकः– 09.04.2019

1. प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा घासा, पटवार हल्का घासा, तह. मावली में खाता सं. 386 नया 370 पुराना में आराजी सं. 3419, 3422 कुल कीता 2 रकबा 1 बीघा, खाता संख्या 387 नया, 371 पुराना आराजी नम्बर 643/2 कुल कीता 1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खाता संख्या 42 नया, 371 पुराना आराजी नम्बर 643/3 कुल कीता 1 रकबा 25 बीघा, खाता संख्या 638 नया 637 पुराना आराजी नम्बर 661 कुल कीता 1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 229 नया 127 पुराना आराजी नम्बर 3425 कुल कीता 1 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं मौजा मंडी की मगरी, पटवार हल्का घासा की खाता संख्या 87 नया 88 पुराना आराजी नम्बर 4731, 4733, 5187, 5188, 5200, 5201, 5223, 5225 कुल कीता 8 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है साथ ही आराजी नम्बर 765, 766, 1109 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा जमीन स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् में हम प्रार्थीगणों के पिता/पति स्व. केशुलाल पिता रामा जी डांगी के नाम पर हिस्सेनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
2. यह कि उक्त आराजीयात् में हम प्रार्थीगणों के पिता /पति स्व. केशुलाल डांगी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज है स्व. केशुलाल पिता रामा जी डांगी की मृत्यु दिनांक 15.01.2017 को हो चुकी है हम प्रार्थीगण स्व. केशुलाल जी के विधिक वारिस है इसके अलावा अन्य कोई वारिस नही है तथा स्व. केशुलाल जी के परिवार

राशन कार्ड, पंचायत का सजरा प्रमाण–पत्र भामाशाह कार्ड के अनुसार भी केशुलाल जी के हम प्रार्थीगण विधिक वारिस है।

3. यह कि स्व. केशुलाल की पूर्व पत्नी विपक्षी संख्या 2 श्रीमती भंवरीबाई 45 पूर्व बेदला, उदयपुर निवासी माना डांगी के नाते चली गई तभी से विपक्षी संख्या 2 भंवरीबाई व माना डांगी पति पत्नी के रूप में निवासरत है तथा कुछ समय पश्चात् विपक्षी संख्या 2 भंवरीबाई व माना डांगी के नुत्फे से एक जीवित पुत्र विपक्षी संख्या 1 देवीलाल का जन्म हुआ उसके बाद विपक्षी संख्या 1 देवीलाल ने 10 वी. तक शिक्षा ग्राम बेदला, उदयपुर में ग्रहण की उसके समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में पिता का नाम माना डांगी अंकित है तथा इसी तरह विपक्षी संख्या 2 भंवरीबाई के समस्त पहचान सम्बन्धी दस्तावेज उसके पति का माना डांगी अंकित है जो कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है तथा हम प्रार्थीगण के पिता स्व. केशुलाल जी की मृत्यु होने पर समस्त रिति रिवाज व सामाजिक कार्यक्रम हम प्रार्थीगणों ने किया, परन्तु विपक्षीगणों ने हमारे पिता की मृत्यु के उपरान्त फर्जी दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड में पटवारी व ग्राम पंचायत कर्मियों से मिलिभगत कर अपने पिता/पति का नाम केशुलाल जी के नाम से दस्तावेज बनाये, इस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विपक्षीगणों ने केशुलाल जी कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में अपना नाम दर्ज करवाने बाबत् हेतु प्रार्थना पत्र दायर किया जिसकी जानकारी होने पर हमने विपक्षीगणों के विरूद्ध पुलिस थाना घासा में अपराधा धारा 420, 407, 408 सपठित धारा 120 बी तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जो पुलिस थाने में विचाराधीन है परन्तु ग्राम पंचायत के कुछ पदाधिकारियों ने विपक्षीगणों को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत रखते हुए विपक्षीगणों को उक्त दस्तावेज बनाने में मदद की। ग्राम पंचायत ने अलग से एक सजरा बनाया जिसमें उन्होने विपक्षीगण भंवरीबाई व देवीलाल को भी तारिस बताया इस तरह पटवारी साहब एवं ग्राम पंचायत स्व. केशुलाल जी की विरासत खोलने पर उतारू हो रहे है।
4. हम प्रार्थी केशुलाल के निधन के पश्चात् उक्त आराजीयात् पर काबिज है व केशुलाल जी के जीवनकाल से अर्थात् करीब 40–45 वर्षों से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जेधारी होकर खेती करते आ रहे है। प्रार्थी के पिता/पति केशुलाल जी के जीवनकाल में करीब 45 वर्ष पूर्व विपक्षी संख्या 2 ने माना डांगी निवासी बेदला के साथ नाता विवाह कर लिया। उसके बाद इन दोनों के संसर्ग से विपक्षी संख्या 1 देवीलाल का जन्म हुआ। विपक्षीगणों की नियत में खोट आने से केशुलाल जी की भूमि में हिस्सा लेने के लिये फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर तहसीलदार जी के यहां नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो झुठे एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। केशुलाल जी के विधिक वारिस प्रार्थीगण ही है जिनका विपक्षीगणों को भली भांति ज्ञान है।
5. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात् को विपक्षीगण रहन बैह बक्षीस नही करे इसमें कोई निर्माण नही करें। न प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात् से बेदखल करें। उक्त कार्य न स्वयं न अपने नौकर चाकर एजेंट इत्यादि से करावें। विपक्षीगण मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।
6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 एवं 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि केशुलाल जी की मृत्यु दिनांक 15.01.2017 को हुई है। केशुलाल जी के विधिक वारिसान् में मैं विपक्षी संख्या 1 एवं मेरी माता भंवरीबाई भी है। हमारा हक व हिस्सा होकर हम काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। केशुलाल जी की शादी विपक्षी संख्या 2 से हिन्दु रीति रिवाज अनुसार हुई थी।

केशुलाल जी के नुत्फे से विपक्षी संख्या 1 जन्म हुआ जो केशुलाल का जायन्दा पुत्र है। केशुलाल जी व विपक्षी संख्या 2 के मध्य अनबन होने से केशुलाल जी ने कुछ समय के लिये प्रार्थी संख्या 1 कंकुबाई को अपने साथ रखने लग गये। कंकुबाई व केशुलाल जी के नुत्फे से प्रार्थी संख्या 2,3,4 का जन्म हुआ जो केशुलाल जी की अवैध संतान है इसलिये केशुलाल जी की जमीन में कोई हक अधिकार नही है। केशुलाल जी के जायदाद में केवल मात्र विपक्षी संख्या 1 एवं 2 का ही हक एवं अधिकार है। विपक्षी संख्या 1 की उम्र छोटी होने से विपक्षी संख्या 2 के साथ चला गया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा ही विपक्षी संख्या 1 का पालना पोषण किया। जिससे विपक्षी संख्या 1 के नाम के आगे माना डांगी का नाम अन्य दस्तावेजों में दर्ज कर दिया गया। जबकी विपक्षी संख्या 1 केशुलाल की जायन्दा संतान है। केवल मात्र दस्तावेज में नाम माना डांगी होने से विपक्षी संख्या 1 को केशुलाल जी की जायदाद से वंचित नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी को केशुलाल जी की जायदाद से बेदखल करने के लिये ग्राम पंचायत से सांठ–गांठ कर केशुलाल जी का गलत सजरा प्रमाणित कर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा रही थी। जिसकी विपक्षी संख्या 1 को जानकारी होने से तहसीलदार जी के यहां वारिस की जाचं का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें पटवारी ने जांच कर केशुलाल जी की शादी विपक्षी संख्या 2 से होना बताया व विपक्षी संख्या 1 केशुलाल व विपक्षी संख्या 2 का पुत्र होना बताया। व प्रार्थी संख्या 1 केशुलाल जी की द्वितीय पत्नी होना बताया। विपक्षी संख्या 1 केशुलाल की जायन्दा संतान है। प्रार्थीगणों ने झुठा परिवार न्यायालय में पेश किया जिस पर पुलिस थाना घासा द्वारा अपनी तफतीस में विपक्षी संख्या 1 के द्वारा कोई अपराध करना जाहिर नही आया। विपक्षी संख्या 1 का जन्म माना डांगी के घर बेदला में हुआ यह कहना गलत है। केशुलाल जी की मृत्यु के बाद उनके सामाजिक कियाकर्म विपक्षी संख्या 1 ने किये व रीति रिवाज अनुसार केशुलाल जी की पगडी भी विपक्षी संख्या 1 ने बंधवाई। उक्त भूमि पर आज भी कब्जा विपक्षी संख्या 1 का है। प्रार्थी एक तरफ जायदाद में वारिस होने से हक मांग रहे है दुसरी तरफ एडवर्स पजेसन की बात कह रहे है जिससे प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

7. प्रार्थीगणों का कोई प्राइमाफैसी केस नही है न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीगणों के पक्ष में है। केवल मात्र विपक्षी को केसुलाल जी की जायदाद से वंचित करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया है। इसलिये प्रार्थीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से कोई हानि नही होगी बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगणों को भारी नुकसान व क्षति होगी। अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।
8. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीयां द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों को अंकित कर पेश किया जाना बताया एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में केशुलाल पिता रामा के नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 केशु की पत्नी व प्रार्थी संख्या 2, 3, 4 केशु की पुत्र–पुत्रिया है। केशु की मृत्यु दिनांक 15.01.2017 को हो चुकी है। प्रार्थीगण विरासत से केशु के बजाय विधिक वारिस के रूप में प्रार्थीगण का नाम दर्ज करवाना चाहते है जबकि विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने आप को केशु का पुत्र व विपक्षी संख्या 2 केशु की पत्नी होना बताकर केशु के विधिक वारिस के रूप में केशु की भूमि में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा केशुलाल जी के जीवन काल से ही भूमि पर काबिज हो काश्त करना बताया है तथा विपक्षी संख्या 2 के बेदला माना डांगी के यहां नाते चले जाने से विपक्षी संख्या 1 व 2 पिछले 40–45 वर्षों से बेदला ही रहने का कथन किया एवं विपक्षी संख्या 1 देवीलाल का जन्म माना के यहां होने से समस्त दस्तावेजों में पिता के नाम के स्थान पर माना डांगी अंकित है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा बेदला माना जी के यहां नाते चले जाने के कथन को स्वीकार किया है। अतः इससे जाहिर है कि विपक्षीगण काफी लम्बे समय से घासा में नही रहकर बेदला रह रहे थे। चूंकि भूमि में प्रार्थीगण केशुलाल के विधिक वारिस है जबकी विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों में देवीलाल के पिता का नाम माना एवं केसुलाल दोनों ही नाम से अलग–अलग दस्तावेज होना पत्रावली पर मौजूद है। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 के केशुलाल के विधिक वारिस होने पर संदेह प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबिज होता है।
2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार केशुलाल है प्रार्थीगण विधिक वारिस है विपक्षीगण के विधिक वारिस होने के तथ्यों को साक्ष्य गवाह आदि के आधार पर तय किया जाना शेष है। केशुलाल के जीवनकाल के समय से ही प्रार्थीगण द्वारा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करना बताया है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में केशुलाल पिता रामा के नाम दर्ज है प्रार्थीगण केशुलाल के विधिक वारिस है जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत घासा द्वारा जारी सजरा प्रस्तुत किया है। राशनकार्ड प्रस्तुत किया जिसमें केशुलाल के वारिस के रूप में प्रार्थी संख्या 1, प्रार्थी संख्या 2 दर्ज है। विपक्षी संख्या 2 जो की केशुलाल जी की पूर्व पत्नी थी जो केशुलाल जी के जीवनकाल में ही माना डांगी निवासी बेदला के यहां नाते चली गई जिसमें नाते के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 देवीलाल का जन्म होना बताया इसी आधार पर देवीलाल के दस्तावेज आधार कार्ड संख्या 867941635860, राशनकार्ड संख्या 010667201813, खाद्य सुरक्षा रसीद में विपक्षी संख्या 1 देवीलाल के पिता का नाम माना डांगी अंकित है विपक्षी संख्या 1 द्वारा घासा में आकर दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी एवं खाद्य सुरक्षा में पिता के नाम केशुलाल अंकित करवा दस्तावेज बनाये जाना जाहिर आया है। चूंकी विपक्षी संख्या 2 जो केशुलाल के जीवनकाल में ही माना डांगी के यहां नाते चली गई उक्त तथ्य को विपक्षीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है। केशुलाल जी के मृत्यु होने के पश्चात् प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 एवं 2 दोनों ही अपने आप को केशुलाल जी के विधिक वारिस होना बताकर केशुलाल जी की विरासत में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते है। विपक्षी संख्या 1 के दस्तावेजों में पिता के नाम केशुलाल एवं माना डांगी दोनों ही नाम के दस्तावेज होना

पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 को केशुलाल के वारिस माना जाना संदेहास्पद है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा यदि अपना पुराना जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया होता जिसमें जन्म स्थान घासा एवं पिता का नाम केशुलाल अंकित होता तो विपक्षी संख्या 1 देवीलाल को केशुलाल का पुत्र होना माना जाने पर विचार किया जा सकता था। विपक्षी संख्या 1 देवीलाल के केशुलाल का पुत्र होने का तथ्य इस स्तर पर तय नही किया जा सकता है उक्त तथ्य मूल वाद में तनकीयात् कायम कर किया जा सकता है। चूंकी केशुलाल के जीवनकाल से ही विपक्षी संख्या 1 एवं 2 माना डांगी के यहां बेदला निवास कर रहे है जिन्हे विपक्षीगण ने स्वयं स्वीकार किया है। लम्बे समय से प्रार्थीगण केशुलाल के साथ रहकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये है। पूर्व में भी प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी सं. 1 से 2 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। यदि उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को हटा दिया जाता हैं तो प्रार्थीगणों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील मावली के आराजी नं 3419,3422 किता 2 रकबा 1 बीघा एवं आ.न. 643/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, आ.न. 643/3 रकबा 25 बीघा, आ.न. 661 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आ.न. 3425 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं मौजा मण्डी की मगरी पटवार हल्का घासा की आ. न. 4731, 4733, 5187, 5188, 5200, 5201, 5223, 5225 किता 8 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा मौजा निम्बोलो का गुडा पटवार हल्का घासा 765, 766, 1109 किता 3 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात् के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली